# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सिवाना (बाड़मेर)

पीठासीन अधिकारी श्रीमती कुसुमलता चौहान आर.ए.एस

प्रकरण संख्याः 119/2021

**प्रार्थीगणः–**

1. कमलादेवी पत्नि जेठारामजी जाति प्रजापत निवासी बामसीन तहसील समदडी जिला बाडमेर – राजस्थान
2. पाबुदेवी पत्नि देरामारामजी जाति चोधरी निवासी बामसीन तहसील समदडी जिला बाडमेर – राजस्थान

बनाम

विप्रार्थीगण :–

1. रामचन्द्र पुत्र दुदारामजी जाति साद निवासी बामसीन
2. मीरा पत्नि दुदारामजी जाति साद निवासी बामसीन
3. लहरकी पत्नि दुदारामजी जाति साद निवासी बामसीन
4. जगदीशचन्द पुत्र रामचन्द्रजी जाति साद निवासी बामसीन
5. पुखराज पुत्र मांगीलालजी जाति सुथार निवासी बामसीन
6. अमराराम पुत्र देरामारामजी जाति कलबी निवासी बामसीन
7. विसनाराम पुत्र देरामारामजी जाति कलबी निवासी बामसीन
8. हरीराम पुत्र देरामारामजी जाति कलबी निवासी बामसीन
9. अमराराम पुत्र मांगीलालजी जाति कलबी (पुरोहित) निवासी बामसीन
10. कानाराम पुत्र मांगीलालजी जाति कलबी (पुरोहित) निवासी बामसीन
11. कालूराम पुत्र मांगीलालजी जाति कलबी (पुरोहित) निवासी बामसीन
12. टीपु पत्नि मांगीलालजी जाति कलबी (पुरोहित)निवासी बामसीन
13. हेमीदेवी पत्नि मांगीलालजी जाति कलबी (पुरोहित) निवासी बामसीन
14. मागींलाल पुत्र वेनारामजी जाति कलबी (पुरोहित)निवासी बामसीन
15. मांगीलाल पुत्र मसरारामजी जाति पुरोहित निवासी बामसीन
16. मोटाराम पुत्र मसरारामजी जाति पुरोहित निवासी बामसीन
17. रामसिंह पुत्र मसरारामजी जाति पुरोहित निवासी बामसीन
18. सोनाराम पुत्र मसरारामजी जाति पुरोहित निवासी बामसीन
19. मंगलाराम पुत्र मांगीलालजी जाति कलबी (पुरोहित)निवासी बामसीन
20. आईदानराम पुत्र मोडारामजी जाति पुरोहित निवासी बामसीन
21. हस्तीमल पुत्र मोडारामजी जाति पुरोहित निवासी बामसीन
22. पदमाराम पुत्र मोडारामजी जाति पुरोहित निवासी बामसीन
23. खगांराराम पुत्र चतरारामजी जाति पुरोहित निवासी बामसीन
24. छोगाराम पुत्र खीमारामजी जाति कलबी (पुरोहित) निवासी बामसीन
25. गैरो पत्नि खीमारामजी जाति कलबी (पुरोहित) निवासी बामसीन
26. मथरा पुत्री खीमारामजी जाति कलबी (पुरोहित) निवासी बामसीन
27. मोरीकी पुत्री खीमारामजी जाति कलबी (पुरोहित) निवासी बामसीन
28. लछमणराम पुत्र खीमारामजी जाति कलबी (पुरोहित) निवासी बामसीन
29. जोधराज पुत्र सावलरामजी जाति कलबी (पुरोहित)निवासी बामसीन
30. श्रवणकुमार पुत्र सावलरामजी जाति कलबी (पुरोहित) निवासी बामसीन
31. सुरेशकुमार पुत्र सावलरामजी जाति क़लबी (पुरोहित)निवासी बामसीन
32. सावलराम पुत्र वेनारामजी जाति कलबी (पुरोहित)निवासी बामसीन
33. फुलीदेवी पत्नि विशनारामजी जाति चोधरी निवासी बामसीन
34. हवलीदेवी पत्नि अमरारामजी जाति चोधरी निवासी बामसीन
35. ए.ई.एन. रेल्वे मण्डल रेल्वे स्टेशन समदडी
36. पी.डब्लू.आई. रेल्वे स्टेशन समदडी
37. डी.ई.एन. रेल मण्डल अधिकारी उत्तर पश्चिम रेल्वे जोधपुर
38. राजस्थान सरकार जरीये तहसीलदार समदडी जिला बाडमेर

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बाड़मेर)

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 111 सपठित धारा 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थितः–

1. श्री पूनमचन्द रामदेव अधिवक्ता प्रार्थीगण
2. विप्रार्थीगण अनुपस्थित

# –:: आदेश ::–

दिनांक :– 11.04.2022

प्रार्थीगण ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 सपठित धारा 128 रा.भू.रा. अधिनियम हेतु, नेखम पैमाईयश जरिये पत्थर गढी का विप्रार्थीगण के विरूद्ध पेश किया। प्रकरण दर्ज कर विप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गय। विप्रार्थीगण के विरूद्ध बाबजूद नोटिस तामील अनुपस्थित रहने से एक पक्षीय कार्यवाही की गई।

हमने प्रार्थीगण के विद्धान अधिवक्ता की बहस सुनी एवं पत्रावली का अवलोकन किया। न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत जमाबन्दी संवत् 2077–2080 सरहद मौजा बामसीन पटवार मण्डल बामसीन तहसील समदडी के खेत खसरा नम्बर 1427/908 रकबा 2.1043 हैक्टयर व खसरा संख्या 1428/908 रकबा 0.2105 हैक्टयर भूमि का अवलोकन किया। जिसमें प्रार्थीगण का नाम बतौर खातेदारी दर्ज है। प्रार्थीगण की भूमि के चारों ओर सीमा चिन्ह व पक्की माठे नहीं होने से काश्त व प्राकृतिक पैदावार लेते समय तनाव व विवाद की स्थिति पडौसी खातेदारों के साथ उत्पन्न हो जाती है जिससे बचने के लिये प्रार्थीगण अपनी भूमि की पक्की नेखमबन्दी करवाना चाहते है।

दोनों पक्षकारों की उपस्थिति में विवादित भूमि का सीमाज्ञान करवाकर पक्के नेखम स्थापित करवाने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होने एवं प्रार्थीगण विवादित भूमि का राजस्व अभिलेख में खातेदार दर्ज होने से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार सिवाना को आदेशित किया जाता है कि दोनों पक्षकारों की उपस्थिति में विवादित खसरा सरहद मौजा बामसीन पटवार मण्डल बामसीन तहसील समदडी के खेत खसरा नम्बर 1427/908 रकबा 2.1043 हैक्टयर व खसरा संख्या 1428/908 रकबा 0.2105 हैक्टयर भूमि का सीमाज्ञान करवाकर चारों ओर पक्के नेखम स्थापित करावें। पक्के नेखम स्थापित करवाने हेतु तहसीलदार समदडी को 1000/– शुल्क पर कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। कमीश्नर शुल्क प्रार्थीगण मौके पर अदा करेंगे, आवश्यकता होने पर तहसीलदार समदडी को थानाधिकारी पुलिस थाना समदडी से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है। तहसीलदार समदडी बाद पालना, पालना प्रतिवेदन प्रेषित करे। तहरीर जारी हो। पालना प्रतिवेदन प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली किया जावे। पत्रावली फैसलसुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

( कुसुमलता चौहान )
उपखण्ड अधिकारी, सिवाना

आदेश आज दिनांक 11.04.2022 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

( कुसुमलता चौहान )
उपखण्ड अधिकारी, सिवाना

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सिवाना (बाड़मेर)

क्रमांकः वाचक / 2022 / 659 दिनांक : 13.04.2022

**प्रार्थीगण** **बनाम** **विप्रार्थीगण**

**कमलादेवी वगैरह** **रामचन्द्र वगैरह**

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 128, 111, राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम

**राजस्व आवेदन सं 119 / 21** दिनांक :–

## –:: आदेश ::–

उपरोक्त प्रकरण में राजस्व ग्राम सरहद मौजा बामसीन पटवार मण्डल बामसीन तहसील समदडी के खेत खसरा नम्बर 1427 / 908 रकबा 2.1043 हैक्टयर व खसरा संख्या 1428 / 908 रकबा 0.2105 हैक्टयर भूमि के सम्बन्ध में सम्पूर्ण भूमि का नाप पैमाईश कर उक्त खसरे के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबंदी करने हेतु तहसीलदार. समदडी को कमीशनर नियुक्त किया जाता है। कमीशनर फीस रूपये 1000 / –प्रार्थीगण अदा करेगा।

उपरोक्तानुसार नेखमबंदी कर पालना रिपोर्ट 15 दिवस के भीतर उपलब्ध करावें। आवश्यकता होने पर सम्बन्धित पुलिस थाना से पुलिस ईमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है।

उपखण्ड अधिकारी,
सिवाना (बाड़मेर)

क्रमांकः वाचक / 2022 / 660 - 663 दिनांक : 13.04.2022

प्रतिलिपि :

1. तहसीलदार समदडी।
2. थानाधिकारी पुलिस थाना समदडी
3. हल्का पटवारी बामसीन को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबंदी कार्यवाही पूर्ण कराने हेतु।
4. श्रीमती कमलादेवी पत्नि जेठारामजी जाति प्रजापत निवासी बामसीन तहसील समदडी जिला बाडमेर – राजस्थान

उपखण्ड अधिकारी,
सिवाना (बाड़मेर)
सिवाना